

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 51ए/16

संस्थापन दिनांक:-23.06.2011

फाईलिंग नं. 2335040000172011

1. श्रीमती उषा साहू पति स्व. नरेंद्र साहू उम्र 45 वर्ष
 2. प्रिंस पिता स्व. नरेंद्र साहू उम्र 23 वर्ष
 3. सुरभि पिता स्व. नरेंद्र साहू उम्र 20 वर्ष
- सभी निवासी मेनरोड आमला,
तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.) **वादीगण**

वि रु द्ध

1. द्वारका प्रसाद पिता स्व. नर्मदा प्रसाद साहू उम्र 59 वर्ष
 2. राजेंद्र प्रसाद पिता स्व. नर्मदा प्रसाद साहू उम्र 48 वर्ष
 3. श्रीमती पूनम पति स्व. रमेश साहू (फौत)
 4. आदित्य पिता स्व. रमेश साहू उम्र 6 वर्ष
 5. आमरण पिता स्व. रमेश साहू उम्र 4 वर्ष
- क्र. 4, 5 ना.बा. वली मां श्रीमती पूनम पति स्व. रमेश साहू
सभी निवासी मेनरोड आमला,
तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.) **प्रतिवादीगण**

—: (निर्णय) :—

(आज दिनांक 22.12.2016 को घोषित)

1 वादीगण द्वारा यह दावा तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित पूर्व पश्चिम 38 फिट लंबा एवं उत्तर दक्षिण 130 फिट चौड़े मकान (अत्रपश्चात् विवादित मकान से संबोधित) के संबंध में श्रीमती श्यामाबाई के द्वारा निष्पादित वसीयतनामें दिनांक 03.11.2006 को शून्य घोषित कराये जाने एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध नगर पालिका अभिलेखों में अपना नाम दर्ज ना कराये जाने से निषेधित किए जाने हेतु आज्ञापक निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2 प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के हैं तथा सभी विवादित मकान में निवासरत हैं। प्रकरण में नर्मदाप्रसाद एवं श्यामाबाई की मृत्यु होना एवं श्यामाबाई द्वारा विवादित मकान के संबंध में वसीयतनामे निष्पादित किया जाना भी स्वीकृत है।

3 वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित मकान स्व. नर्मदाप्रसाद साहू के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.06.1961 के द्वारा क्रय किया गया था। जो कि उनके स्वत्व एवं आधिपत्य का था। स्व. नर्मदाप्रसाद की मृत्यु निर्वसीयत वर्ष 1995 में हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्व. नर्मदाप्रसाद के जीवन काल में विवादित मकान में संयुक्त सामूहिक रूप निवासरत थे। वादीगण के द्वारा विवादित मकान के संबंध में एक दावा उद्घोषणा, बंटवारा एवं पृथक आधिपत्य हेतु अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय मुलताई के समक्ष पेश किया गया था, इस प्रकरण के विचारण के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा स्व. श्री नर्मदाप्रसाद की पत्नी श्रीमती श्यामाबाई पर दबाव डालकर दिनांक 03.11.2006 को वसीयतनामे निष्पादित करा लिए गए। जबकि विवादित मकान मूल पुरुष स्व. श्री नर्मदाप्रसाद साहू की स्वअर्जित संपत्ति है तथा उनकी मृत्यु निर्वसीयत हुई थी। अतः श्यामाबाई को वसीयतनामे निष्पादित करने का कोई अधिकान ना होने के कारण वसीयतनामें अवैध होकर शून्य हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उपर्युक्त वसीयतनामों के आधार पर अपना नाम नगरपालिका अभिलेखों में संशोधित कराए जाने का प्रयास किए जाने के कारण वादीगण द्वारा यह दावा वसीयतनामें दिनांक 03.11.2006 शून्य घोषित कराने एवं प्रतिवादीगण को नगरपालिका अभिलेखों में नाम दर्ज कराने से निषेधित किए जाने हेतु आज्ञापक निषेधाज्ञा की सहायता चाहे जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

4 प्रतिवादी क्र 01 से 03 के द्वारा संयुक्त रूप से वाद पत्र का जवाबदावा पेश कर उसमें यह अभिवचन किया गया है कि विवादित मकान श्रीमती श्यामाबाई पत्नी स्व. श्री नर्मदाप्रसाद के स्वत्व एवं आधिपत्य में था और उन्हीं के नाम से नगरपालिका अभिलेख में दर्ज है। उपर्युक्त विवादित मकान में वादी एवं प्रतिवादीगण विवाद उपरांत अपने-अपने परिवार के साथ पृथक-पृथक निवासरत हैं। श्यामाबाई के द्वारा विवादित मकान का उनके जीवनकाल में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा कर दिया गया था, परंतु अभिलेखों में अलग-अलग नाम दर्ज नहीं हुए थे, इसलिए स्व. श्यामाबाई के द्वारा विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो इस हेतु दिनांक 03.11.2006 को अपने पुत्र द्वारकाप्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद एवं स्व. पुत्र रमेश साहू के पुत्र आदित्य एवं स्व. पुत्र नरेन्द्र साहू के पुत्र प्रिंस के नाम अलग-अलग वसीयतनामें निष्पादित किए गए। जिनकी जानकारी वादीगण को पूर्व से ही है। विवादित मकान एकमात्र श्यामाबाई के स्वत्व का था। अतः उनके द्वारा निष्पादित वसीयतनामें पूर्णतः वैध हैं। पूर्व में भी वादीगण के द्वारा उपर्युक्त मकान के संबंध में ही दावा प्रस्तुत किया गया था। यह दावा प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। अतः सव्यय निरस्त किया जाए।

5 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क. 03 की मृत्यु लिखित कथन प्रस्तुत करने के उपरांत विचारण के दौरान हुई है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षी फूलसिंग एवं चंद्रकला के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं परंतु उपर्युक्त साक्षीगण को वादीगण द्वारा परीक्षण हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं रखा गया है। अतः उनकी साक्ष्य का आवलंबन नहीं किया जा रहा है।

6 वाद के उचित एवं प्रभावपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं :-

क.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या आमला नगर स्थित स्व. नर्मदा प्रसाद की पत्नी श्यामबाई द्वारा निष्पादित मकान की वसीयतनामा क्र. 03/100, 03/97 एवं 03/99 दिनांकित 03.11.06 अवैध होकर शून्य है ?	
2.	क्या वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध तत्संबंधी आदेशात्मक सर्वकालिक स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?	
3.	क्या वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर न्याय शुल्क अदा किया है ?	
4.	सहायता एवं अनुतोष ?	

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

वाद प्रश्न क. 01 का निराकरण

7 वादीगण द्वारा अपने वादपत्र तथा मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि विवादित मकान स्व. नर्मदाप्रसाद द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.06.1961 के द्वारा क्रय कर स्वत्व व आधिपत्य प्राप्त किया गया तथा वर्ष 1995 में उनकी निर्वसीयत मृत्यु हुई तथा उनके जीवनकाल में उनके पुत्र व पुत्रियाँ मकान में निवासरत रहे। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित कथन एवं मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि

विवादित मकान श्यामाबाई के एकमात्र स्वत्व का था तथा उनके द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 03.11.2006 को चार वसीयतनामों अपने पुत्रों व मृतक पुत्र के पुत्रों के नाम पर कर दिये गये हैं।

8 प्रकरण में सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि **क्या श्यामाबाई को विवादित मकान के संबंध में वसीयत करने का अधिकार था।** वादी द्वारा विवादित मकान के संबंध में विक्रय पत्र दिनांक 14.06.1961 (प्रदर्श प्री-1) प्रस्तुत किया गया। जिसके अवलोकन से केता स्व. नर्मदाप्रसाद एवं जगन्नाथ प्रसाद के द्वारा संयुक्त रूप से विक्रेता फिदा हुसैन, नोमान व गुलाम अब्बास से आबादी भूमि आमला में स्थित मकान 20,000/- रु. में क्रय किया जाना प्रकट हो रहा है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से केता नर्मदाप्रसाद द्वारा दी गयी प्रतिफल राशि अनुसार उन्हें अ, ड, क, ख में दर्शित भाग उत्तर दक्षिण 130 फिट एवं पूर्व पश्चिम करीब 30 फिट दो मंजिला मकान प्राप्त होना प्रकट हो रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज स्व. नर्मदाप्रसाद का मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श प्री-11) व नगरपालिका संशोधन पंजी वर्ष 1998-99 (प्रदर्श प्री-12) प्रस्तुत की गई है, जिनके अवलोकन से दिनांक 26.04.1999 को नर्मदा प्रसाद की मृत्यु होना एवं दस्तावेज (प्रदर्श प्री-12) के अवलोकन से नगरपालिका अभिलेख में नर्मदा प्रसाद की मृत्यु उपरांत भवन श्यामाबाई के नाम पर आना प्रकट हो रहा है तथा दस्तावेज भवन प्रमाण पत्र (प्रदर्श प्री-5) के अवलोकन से विवादित मकान श्रीमती श्यामाबाई के नाम पर दर्ज होना प्रकट होता है।

9 प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि विवादित मकान की एकमात्र स्वत्वाधिकारी उनकी माँ श्यामाबाई है तथा नगरपालिका में उनका नाम दर्ज है तथा साथ ही श्यामाबाई द्वारा निष्पादित वसीयतनामा प्रदर्श डी-1, प्रदर्श डी-2, प्रदर्श डी-3, प्रदर्श डी-4 प्रस्तुत किया गया है, परंतु विवादित मकान एकमात्र श्यामाबाई के स्वत्व का हो, ऐसे कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जबकि वादीगण के द्वारा विवादित मकान स्व. नर्मदा प्रसाद द्वारा क्रय किये जाने के संबंध में रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 14.06.1961 (प्रदर्श प्री-4) प्रस्तुत किया गया है तथा नगरपालिका अभिलेख में श्यामाबाई का नाम नर्मदा प्रसाद की मृत्यु उपरांत दर्ज होना प्रकट हो रहा है। मात्र नगरपालिका अभिलेखों में नामांतरण से स्वत्व की पुष्टि नहीं होती है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत मलखान सिंह विरुद्ध सोहन सिंह AIR 1986 S.C. 500** अवलोकनीय है।

10 वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श प्री-4) से विवादित मकान स्व. नर्मदाप्रसाद द्वारा क्रय किया जाना प्रकट होता है। उपर्युक्त दस्तावेज को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित नहीं किया गया है। प्रतिवादी द्वारा नर्मदा प्रसाद (प्र.सा. -1) ने भी प्रतिपरीक्षण के पैरा 07 में यह बताया है कि विवादित मकान के

अतिरिक्त अन्य कोई मकान उनके परिवार में नहीं है तथा अपने पिता स्व. नर्मदा प्रसाद के समय से वह मकान में निवासरत है। पैरा 10 में उक्त साक्षी ने यह बताया कि विवादित मकान माँ श्यामाबाई के द्वारा क़य किये जाने के संबंध में उसे जानकारी नहीं है। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि उसके द्वारा संपूर्ण विवादित मकान का टैक्स अपनी माँ श्यामाबाई के नाम से जमा किया जाता है। साक्ष्य विधि के अंतर्गत सिविल कार्यवाही में किसी तथ्य को साबित करने का मापदंड संभावना की प्रबलता पर निर्भर करता है, जिसमें यह देखा जाता है कि किस पक्ष द्वारा उक्त तथ्य की प्रामाणिकता के संबंध में अधिक संभावनायें प्रस्तुत करने वाली साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजों साक्ष्य से विवादित मकान स्व. नर्मदा प्रसाद के स्वत्व का होना प्रमाणित पाया जाता है।

11 वादीगण का यह भी अभिवचन है कि विवादित मकान में स्व. नर्मदा प्रसाद के जीवनकाल में वादी एवं प्रतिवादीगण परिवार के सभी सदस्य संयुक्त सामूहिक रूप से निवासरत थे। वादी उषा (वा.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 12 में यह प्रकट किया है कि पूरा परिवार संयुक्त रहता था और सभी लोग आय ससुर के पास जमा करते थे तथा यह भी सही होना बताया है कि सभी पुत्रों की अलग-अलग दुकान और व्यवसाय थे। साबिर शाह (वा.सा.-2) एवं मदन साहू (वा.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि नर्मदा प्रसाद के पुत्र द्वारका प्रसाद और राजेंद्र विवादित मकान में अलग-अलग निवास करते थे। जबकि प्रतिवादीगण ने यह अभिवचन किया है कि नर्मदा प्रसाद के सभी पुत्र विवादित मकान में अलग-अलग निवास करते थे। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने विवादित मकान का बंटवारा हो जाने के संबंध में अभिवचन किया है। अतः प्रमाण भार प्रतिवादीगण पर है।

12 प्रतिवादी साक्षी द्वारका प्रसाद (प्र.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 10 में यह बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि विवादित मकान का भाईयों के बीच में लिखित बंटवारा हो गया है। इसी पैरा में उक्त साक्षी ने यह कथन भी किया है कि वह विवाह के तीन-चार साल बाद से संयुक्त परिवार से अलग रहने लगा था तथा छोटे भाईयों के विवाह होते गये और सभी भाई संयुक्त परिवार से अलग-अलग निवास करने लगे तथा आज भी सभी भाई सुविधा अनुसार विवादित मकान में अलग-अलग निवासरत हैं। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 12 में उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके पिता ने विवादित मकान का अपने पुत्रों के बीच में बंटवारा किया हो। स्वतः में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि पिता की मृत्यु पर विवादित मकान मां श्यामाबाई के नाम पर आया था और उन्होंने स्वेच्छया से अपने सभी पुत्रों के बीच बंटवारा कर दिया था।

13 प्रतिवादी साक्षी राजेंद्र (प्र.सा.-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 07 में यह बताया है कि जब तक पिता नर्मदा प्रसाद जीवित थे तब तक सभी भाई एवं मां साथ में निवासरत थे और विवादित मकान का परिवार के बीच में कभी कोई विभाजन नहीं हुआ, सभी लोग अपनी-अपनी सुविधा अनुसार विवाह उपरांत निवास बनाते गये। कमलाकर (प्र.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 05 में यह प्रकट किया है कि नर्मदा प्रसाद, उनके बेटे और पत्नी विवादित मकान में निवास करते थे और जैसे-जैसे नर्मदा प्रसाद के बेटों का विवाह हुआ सब अलग-अलग कमरों में निवास करने लगे। इस प्रकार उपर्युक्त प्रतिवादी साक्षीगण के कथनों से विवादित मकान पर वादी एवं प्रतिवादीगण का सुविधा अनुसार निवास किया जाना प्रकट हो रहा है जो कि मात्र पारिवारिक व्यवस्थापन माना जावेगा जिसे विधिवत विभाजन नहीं माना जा सकता। अतः यह उपधारित किया जाता है कि स्व. नर्मदा प्रसाद की मृत्यु के समय विवादित मकान पर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त सामूहिक रूप से निवास करते थे।

14 वादीगण का यह भी अभिवचन है कि स्व. नर्मदा प्रसाद की निर्वसीयत मृत्यु हुई है, जिसका खंडन प्रतिवादीगण के द्वारा नहीं किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श प्री-11) के अवलोकन से नर्मदा प्रसाद की मृत्यु दिनांक 26.04.1994 को होना प्रकट होता है। वादीगण का अभिवचन है कि नर्मदा प्रसाद की मृत्यु के समय उनके पुत्र प्रतिवादीगण द्वारका प्रसाद, भगवान, नरेन्द्र, राजेन्द्र, रमेश निवासरत थे। प्रतिवादी साक्षी द्वारका प्रसाद (प्र.सा.-1) ने परीक्षण के पैरा 07 में वादीगण के उपर्युक्त अभिवचन के अनुरूप कथन किया है। वादी उषा (वा.सा.-1) ने परीक्षण में यह बताया है कि नर्मदा प्रसाद की दो पुत्रियां सरोज व मुन्नी हैं। वादी के द्वारा वंशवृक्ष में भी उनका उल्लेख किया गया है। प्रतिवादी द्वारका प्रसाद (प्र.सा.-1) व राजेन्द्र प्रसाद (प्र.सा.-2) ने अपने परीक्षण में भगवानदास, नरेन्द्र, व रमेश की मृत्यु की तिथि याद न होना बताया है। वादीगण के कथनानुसार स्व. नर्मदा प्रसाद के जीवनकाल में उनके सभी पुत्र, पुत्रियाँ व पत्नी जीवित थी। प्रतिवादीगण ने भी अपने पिता के जीवनकाल में उनके साथ विवादित मकान में अपने अन्य भाइयों के साथ निवासरत होना बताया है। अतः प्रतिकूल साक्ष्य/अभिवचन के अभाव में यह माना जाएगा कि नर्मदा प्रसाद की मृत्यु के समय अर्थात् वर्ष 1994 में उनके पुत्र, पुत्रियाँ व पत्नी जीवित थी।

15 प्रकरण में विवादित मकान स्व. नर्मदाप्रसाद द्वारा क्रय किया जाना प्रमाणित पाया गया है अर्थात् वह उनकी स्वअर्जित संपत्ति मानी जाएगी। स्व. नर्मदा प्रसाद की मृत्यु निर्वसीयत हुयी थी। अतः ऐसी **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 आकृष्ट** होगी। धारा 8 में यह स्पष्ट किया गया है कि

निर्वसीयत मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची की वर्ग 01में विनिर्दिष्ट है उन्हें न्यायागत होगी। अनुसूची वर्ग-1 के अनुसार सर्वप्रथम पुत्र उसके पश्चात् पुत्री फिर विधवा को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। चूंकि स्व. नर्मदाप्रसाद की मृत्यु के समय उनके 5 पुत्र व 2 पुत्रियाँ तथा पत्नी जीवित थी। अतः विवादित मकान का न्यागमन पुत्रों, पुत्रियों एवं पत्नी के बीच होगा। अर्थात् सभी को $1/8$ अंश प्राप्त होगा। इस प्रकार स्व. श्यामाबाई को विवादित मकान पर मात्र $1/8$ अंश प्राप्त होने के कारण वह मात्र अपने अंश तक की वसीयत कर सकती है। संपूर्ण विवादित मकान के संबंध में उन्हें वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है।

16 प्रकरण में वादीगण के द्वारा श्यामाबाई द्वारा किये गये वसीयतनामे दिनांक 03.11.2006 क्र. 03/100, 03/97, 03/99 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-3 प्रस्तुत की गयी है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा उपर्युक्त वसीयतनामें मूल प्रदर्श डी-1 लगायत प्रदर्श डी-4 प्रस्तुत किये गये हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा (प्रदर्श डी-4) वादी प्रिंस के नाम पर है। वादी उषा (वा.सा.-1) ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसे मात्र तीन वसीयतनामें की जानकारी थी इसलिए उसके द्वारा चौथे वसीयतनामा क्र. 03/98 का अभिवचन नहीं किया गया है। चूंकि विवेचना अनुसार स्व. श्यामाबाई का विवादित मकान में एकमात्र स्वत्व प्रमाणित न होने से संपूर्ण विवादित मकान के संबंध में वसीयतनामा लेख करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं रह जाता है। अतः वसीयतनामे क्र. 03/100, 03/97, 03/99 के साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत एक अन्य वसीयतनामा क्र. 03/98 निष्पादित किये जाने का स्व. श्यामाबाई को कोई अधिकार नहीं था। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि विवादित मकान स्थित आमला के संबंध में स्व. श्यामाबाई द्वारा निष्पादित वसीयतनामे दिनांक 03.11.2006 शून्य हैं। तदनुसार वाद प्रश्न क्र. 01 "हां" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 02 का निराकरण

17 वादीगण का यह अभिवचन है कि प्रतिवादीगण को नगर पालिका अभिलेखों में नाम दर्ज कराये जाने से रोकने हेतु आज्ञापक निषेधाज्ञा जारी की जावे परंतु यह उल्लेखनीय है कि आज्ञापन आदेश तभी पारित किये जाते हैं जबकि प्रतिवादी द्वारा तथाकथित कार्य जिसे निषेधित करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया हो, कर लिया गया हो। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि प्रतिवादीगण द्वारा नगर पालिका अभिलेखों में वसीयतनामों के आधार पर नाम दर्ज कराये जाने हेतु कोई कार्यवाही की गयी हो। साथ ही प्रकरण में वाद प्रश्न क्र. 01 की विवेचना अनुसार स्व. श्यामाबाई द्वारा विवादित मकान के संबंध में निष्पादित वसीयतनामें दिनांक 03.11.2006 शून्य

होना प्रमाणित पाया गया है, तब ऐसी स्थिति में आज्ञापक निषेधाज्ञा दिये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 02 “नहीं” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 03 का निराकरण

18 प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया है और न ही उचित न्यायालय शुल्क अदा किया है। वादीगण के द्वारा दस्तावेज वसीयतनामों को शून्य घोषित कराये जाने एवं उनके आधार पर नगर पालिका अभिलेखों में नाम दर्ज न कराये जाने हेतु प्रतिवादीगण को निषेधित करने के लिए आज्ञापक निषेधाज्ञा की चाहता चाही गयी है तथा इस हेतु वादीगण के द्वारा नियत न्यायालय शुल्क घोषणा एवं निषेधाज्ञा के लिए अदा किया गया है। प्रतिवादीगण ने तर्क के दौरान यह प्रकट किया है कि वादीगण द्वारा आज्ञापक निषेधाज्ञा की सहायता चाही गयी है। अतः उस पर मूल्य अनुसार न्यायालय शुल्क अदा करना होता है। साथ ही न्याय दृष्टांत **A.K. Ghosh Vs Dhruv Kumar Haryani and another M.P.L.J. 2011(4)** प्रस्तुत किया है परंतु प्रकरण की परिस्थितियां भिन्न होने से प्रतिवादीगण को उक्त न्याय दृष्टांत से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। अतः वादीगण द्वारा समुचित न्यायालय शुल्क अदा किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 03 “हां” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 04 का निराकरण

19 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के अनुसार वादीगण यह प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित पूर्व पश्चिम 38 फिट लंबा एवं उत्तर दक्षिण 130 फिट चौड़े विवादित मकान के संबंध में स्व. श्यामाबाई को वसीयत निष्पादित करने का अधिकार नहीं था। अतः स्व. श्यामाबाई द्वारा निष्पादित वसीयतनामे दिनांक 03.11.2006 क्र. 3/100, 3/97, 3/99 शून्य घोषित किये जाते हैं एवं साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य वसीयतनामा क्र. 3/98 दिनांक 03.11.2006 जिसका अभिवचन वादी के द्वारा नहीं किया गया था परंतु विवेचना अनुसार श्यामाबाई को विवादित मकान के संबंध में वसीयतनामों निष्पादित किये जाने का कोई अधिकार न होना प्रमाणित पाया गया है। अतः ऐसी दशा में वसीयतनामे क्र. 03/100, 03/97, 03/99 के साथ ही प्रतिवादीगण की अभिरक्षा से प्रस्तुत उसी दिनांक को स्व. श्यामाबाई द्वारा निष्पादित वसीयतनामा क्र. 03/98 भी शून्य घोषित किया जाता है परंतु उपर्युक्त विवेचना अनुसार वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध आज्ञापक निषेधाज्ञा जारी कराये जाने के अधिकारी नहीं पाये गये हैं। फलतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अंशतः स्वीकार कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है :-

1. तहसील आमला, जिला बैतूल स्थित पूर्व पश्चिम 38 फिट लंबा एवं उत्तर दक्षिण 130 फिट चौड़े विवादित मकान, के संबंध में स्व. श्यामाबाई द्वारा दिनांक 03.11.2006 को निष्पादित वसीयतनामों क्र. 3/100, 3/97, 3/99, 3/98 को शून्य घोषित किया जाता है।
2. वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध आज्ञापक स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।
3. प्रतिवादीगण स्वयं के वाद व्यय के साथ-साथ वादीगण का भी वाद व्यय वहन करेंगे।
4. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्च में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञापति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल